मुख्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम

Headquarters, Employees' State Insurance Corporation

पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110002

Panchdeep Bhawan, CIG Road, New Delhi-110002

www.esic.nic.in

संख्या : ए–49/11/1/2005–रा.भा. दिनांक : 10.12.2012

परिपत्र

विषय : उप निदेशक(कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम, मुख्यालय का निरीक्षण।

सूचित करना है कि दिनांक 10.12.12 को श्री शैलेश कुमार सिंह, उप निदेशक(कार्यान्वयन) द्वारा निगम मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं का राजभाषा संबंधी विस्तृत निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उप निदेशक(कार्यान्वयन) ने राजभाषा नियम 8(4) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट शाखाओं के हिंदी में किए जा रहे कार्य की विशेष रूप से समीक्षा की। मुख्यालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में पाई गई कमियों से भी उन्होंने बीमा आयुक्त को चर्चा के दौरान अवगत कराया।

उप निदेशक द्वारा निम्नलिखित कमियों की ओर विशेष रूप से ध्यान आकृष्ट कराया गया जिस पर त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है :–

1. मूल हिंदी पत्राचार को बढ़ाया जाए।
2. (i) सभी कम्प्यूटरों में यूनिकोड सक्रिय किया जाए एवं सभी कार्मिकों को इस पर प्रशिक्षण दिया जाए।
   (ii) कम्प्यूटरों पर हिंदी काम–काज बढ़ाया जाए।
3. राजभाषा संवर्ग के रिक्त पद जैसे निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक(रा.भा.), हिंदी अनुवादक प्राथमिकता के आधार पर भरे जाएं।
4. हिंदी संबंधी प्रशिक्षण के लिए शेष कार्मिकों को यथासंभव कार्यालय में ही प्रशिक्षण दिलाने की व्यवस्था की जाए।
5. हिंदी कार्यशालाओं का नियमित आयोजन कर अधिकाधिक कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जाए।
6. फाइलों पर अधिकाधिक टिप्पणियां हिंदी में लिखी जाएं।
7. फाइलों, रजिस्टरों आदि के शीर्षक द्विभाषी लिखे जाएं।

उपर्युक्त के आलोक में बीमा आयुक्त ने निदेश दिया है कि राजभाषा विभाग द्वारा बताई गई कमियों को विशेष प्रयास से शीघ्र दूर किया जाए ताकि कार्यालयों में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। कृपया इस संबंध में की गई कार्रवाई से राजभाषा शाखा, मुख्यालय को अवगत कराया जाए।

(डॉ. पन्ना प्रसाद)
संयुक्त निदेशक(रा.भा.)

प्रति :–

1. मुख्यालय के सभी अधिकारी/शाखाएं।
2. आयुक्त, राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी।
3. सभी क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक, क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय/प्रभागीय कार्यालय।
4. सभी चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी. निगम अस्पताल।
5. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को वेबसाइट में अपलोड करने के लिए।

वेबसाइट की विषय-सूची का प्रबंधन......
Website Contents Management..........
डायरी सं./Diary No....1305........
दिनांक/Date 11/12/2012